

जनपद गाजियाबाद प्रेस नोट दिनांक 11.06.2021

दिनांक 11.06.2021 थाना निवाडी

श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद श्री अमित पाठक महोदय द्वारा चलाये जा रहे अभियान चैकिंग वांछित/संदिग्ध वाहन/व्यक्ति, रोकथाम जुर्म जरायम अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण गाजियाबाद डा0 ईरज राजा महोदय के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी मोदीनगर श्रीमान सुनील कुमार के सफल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री हरिओम सिंह के कुशल नेतृत्व में उ0नि0 श्री राजकुमार सिंह, है0का0 615 ओपेन्द्र सिंह, का0 237 विकास कुमार द्वारा चैकिंग के दौरान पतला कौंटा के पास से थाना हाजा के मु0अ0सं0-365/2021 धारा 457/380 भादवि में वांछित अभियुक्त 1-शिवम पुत्र नानकचन्द निवासी ग्राम भूडगढी थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद को वादिया के घर से चोरी किये गये 01 पचांगला सफेद धातु, 01 ढूंगा सफेद धातु सहित गिरफ्तार किया गया।

अपराध करने का तरीका:-

1-अभियुक्त द्वारा वादिया के घर से 01 पंचगला सफेद धातु, 01 ढूंगा सफेद धातु चोरी कर ले जाना।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1-शिवम पुत्र नानकचन्द निवासी ग्राम भूडगढी थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- 1-उ0नि0 श्री राजकुमार सिंह, थाना निवाडी जनपद गाजियाबाद
- 2-है0का0 615 ओपेन्द्र सिंह थाना निवाडी जनपद गाजियाबाद
- 3-का0 237 विकास कुमार थाना निवाडी जनपद गाजियाबाद

बरामदगी का विवरण:-

1-अभियुक्त शिवम उपरोक्त के कब्जे से 01 पचांगला सफेद धातु, 01 ढूंगा सफेद धातु सहित गिरफ्तार किया गया।

पंजीकृत अभियोगों का विवरण:-

1-मु0अ0सं0-365/2021 धारा 457/380 भादवि थाना निवाडी गाजियाबाद



थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा हत्या का प्रयास करने वाले एक अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त एक तमंचा .32 बोर मय एक खोखा कारतूस सहित गिरफ्तार किया श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय के निर्देशन में, श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ के पर्यवेक्षण एवं प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में थाना टीला मोड़ पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को एक अदद नाजायज तमंचा .32 बोर मय एक खोखा कारतूस के गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 08/06/2021 को रात्रि में समय करीब 21.30 बजे गरिमा गार्डन में शकील के साथ मारपीट व जान से मारने की नीयत से फायर करने वाले मुख्य अभियुक्त को मुखबिर की सूचना पर दिनांक 11-06-2021 को रात्रि 1.30 बजे पर्सौंडा पुलिया से अभियुक्त राहत अली उर्फ मोनू पुत्र उम्मेद अली नि0 एच-112 गरिमा गार्डन, थाना टीला मोड़ गा0बाद को घटना में प्रयुक्त एक अदद नाजायज तमंचा .32 बोर मय एक खोखा कारतूस .32 बोर के गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 344/21 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत किया गया है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1- राहत अली उर्फ मोनू पुत्र उम्मेद अली नि0 एच-112 गरिमा गार्डन, थाना टीला मोड़ गा0बाद

अभियुक्त से बरामदगी -

एक अदद तमंचा नाजायज.32 बोर मय एक खोखा कारतूस .32 बोर

आपराधिक इतिहास अभि0गण -

- (1) मु0अ0सं0 339/21 धारा 307,323 भादवि बनाम राहत अली उर्फ मोनू उपरोक्त
- (2) मु0अ0सं0 344/21 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 बनाम राहत अली उर्फ मोनू उपरोक्त

अभियोग के अन्य अपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है।



वांछित एक नफर अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा रोकथाम अपराध / वांछित अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान का पालन कराने के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय मोदीनगर के निर्देशन में थाना भोजपुर पुलिस द्वारा मु0अ0स0- 357/21 धारा 374/506/304ए भादवि में वांछित अभियुक्त डबू उर्फ विजयवीर पुत्र जुगेन्द्र निवासी ग्राम भोजपुर थाना भोजपुर गाजियाबाद को गिरफ्तारकर जेल भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. डबू उर्फ विजयवीर पुत्र जुगेन्द्र निवासी ग्राम भोजपुर थाना भोजपुर गाजियाबाद

अभियुक्तका आपराधिक इतिहास:-

मु0अ0स0 357/21 धारा 374/506/304ए भादवि



थाना टीला मोड पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को एक अदद चाकू नाजायज सहित गिरफ्तार किया।

श्रीमान श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित अपराधी/ माफियाओ के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय के निर्देशन में, श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ के पर्यवेक्षण एवं प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में थाना टीला मोड पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को एक अदद चाकू नाजायज सहित गिरफ्तार किया।

दिनांक 10/06/2021 को रात्रि में समय करीब 20.30 बजे गस्त व चैकिंग के दौरान पंचशील कालोनी के सामने भोपुरा रोड निकट बलराम धर्मकांटा से एक अभियुक्त चन्द्रपाल पुत्र गोरेलाल नि0 ग्राम हरई थाना खजरई जिला छतरपुर मध्यप्रदेश हाल नि0 बी- 805 हर्ष विहार थाना टीला मोड गा0बाद को एक अदद चाकू नाजायज सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 342/21 धारा 4/25A.Act पंजीकृत किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त :-

(1) चन्द्रपाल पुत्र गोरेलाल नि0 ग्राम हरई थाना खजरई जिला छतरपुर मध्यप्रदेश हाल नि0 बी- 805 हर्ष विहार थाना टीला मोड गा0बाद

अभियुक्त से बरामदगी -

(1) एक अदद चाकू नाजायज ,

अपराधिक इतिहास अभियुक्त

1.मु0अ0सं0 342/21 धारा 4/25 A.Act बनाम चन्द्रपाल थाना टीला मोड गा0बाद

अभियुक्त के अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।



थाना लिंकरोड जनपद गाजियाबाद पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार व कब्जे से 47 ग्राम नशीला पाउडर एल्प्रोजोलम बरामद

श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित अपराधियों व चोरों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में व श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय महोदय के निर्देशन में तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी साहिबाबाद महोदय के सफल पर्यवेक्षण में एवं प्रभारी निरीक्षक थाना लिंकरोड जनपद गाजियाबाद के नेतृत्व में दिनांक 11.06.2021 को थाना लिंक रोड पुलिस टीम द्वारा मंगल बाजार कडकड माडल के पास से मुखविर की सूचना पर 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 47 ग्राम नशीला पाउडर एल्प्रोजोलम बरामद हुआ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. सद्दाम पुत्र इरशाद अहमद निवासी ग्राम सबका थाना छपरौली जिला बागपत हाल निवासी कल्लन चौक शहीदनगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद बरामदगी का विवरण -

1. 47 ग्राम नशीला पाउडर एल्प्रोजोलम
सम्बन्धित मु0अ0स0 344/2021 धारा 8/21 NDPS.ACT थाना लिंकरोड गाजियाबाद

अभि0 का आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग का विवरण -

1. मु0अ0स0 344/2021 धारा 8/21 NDPS.ACT थाना लिंकरोड गाजियाबाद



दिनांक 13.04.2021 थाना लोनी बोर्डर जनपद गाजियाबाद

थाना लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा 02 सट्टोरियों को मय एक अदद मोबाईल फोन व पर्चा सट्टा गत्ता व डाट पैन व 320 रु0 नकद के गिरफ्तार किया गया।

श्रीमान उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद श्री अमित पाठक के कुशल निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी लोनी महोदय जनपद गाजियाबाद के कुशल पर्यवेक्षण में आगामी पंचायत चुनाव के दृष्टिगति अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान, चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान थाना लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा दिनांक 11.06.2021 को समय करीब 08.10 बजे मुखबिर की सूचना पर कलवा डेरी के पास खाली प्लाट में थाना क्षेत्र इन्द्रापुरी से 02 सट्टोरियों 1- सुनील पुत्र दिनेशचन्द्र नि0 ए 622 लक्ष्मी गार्डन, थाना लोनी बोर्डर गाजियाबाद 2- मौ0 अहसान पुत्र मौ अख्तर नि0 ए 632 लक्ष्मी गार्डन, थाना लोनी बोर्डर गाजियाबाद को मय एक अदद मोबाईल फोन व पर्चा सट्टा गत्ता व डाट पैन व 320 रु0 नकद के गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण -

- 1- सुनील पुत्र दिनेशचन्द्र नि0 ए 622 लक्ष्मी गार्डन, थाना लोनी बोर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 36 वर्ष।
- 2- मौ0 अहसान पुत्र मौ अख्तर नि0 ए 632 लक्ष्मी गार्डन, थाना लोनी बोर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष।

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास:-

1-मु0अ0सं0 495/21 धारा 13 जी एक्ट थाना लोनी बोर्डर जनपद गाजियाबाद।

अभियुक्त सुनील से बरामद का विवरण-

एक वीवो मोबाईल फोन, रंग नीला व एक डाट पैन गत्ता व पर्चा सट्टा व 180 रुपये नकद

अभियुक्त मौ0 अहसान से बरामद का विवरण-

140 रुपये नकद



दिनांक 11.06.2021 थाना लोनी बोर्डर जनपद गाजियाबाद

थाना लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा एक लुटेरे को एक अवैध तमंचे व लूट के रूपयों के साथ किया गिरफ्तार ।

श्रीमान् उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद श्री अमित पाठक के कुशल निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी लोनी महोदय जनपद गाजियाबाद के कुशल पर्यवेक्षण में आगामी पंचायत चुनाव के दृष्टिगति अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान, चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान थाना लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा दिनांक 10.06.2021 को समय करीब 22.40 बजे चैकिंग के दौरान नीलम फैक्ट्री के पास इन्द्रापुरी चौकी क्षेत्र से एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ कर चैक किया गया तो चैकिंग के दौरान व्यक्ति से एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व 300 रुपये बरामद हुए। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूँछा गया तो उसने अपना नाम दीपक पुत्र राजकुमार निवासी सरस्वती विहार, नियर संगम विहार चौकी थाना लोनी बोर्डर जनपद गाजियाबाद बताया। अभियुक्त से और कड़ाई से पूँछताछ की गयी तो अभियुक्त द्वारा बताया गया कि दिनांक 27.05.21 को लोनी क्षेत्र में अपनी साथी फिरोज पुत्र वसीर व इरफान उर्फ आदिल उर्फ अदली पुत्र आलमगीर व सुहेल पुत्र साहिल तथा दानिश पुत्र मुख्तयार के साथ तमन्ना डेरी में लूट की थी। लूट से बरामद रूपयों को चारों लोगो द्वारा आपस में बाँट लिया गया था, यह 300 रुपये उसी लूट के हिस्से के बचे हुये है। उक्त लूट के सम्बन्ध में थाना लोनी गा0बाद पर अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्त दीपक उपरोक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर जेल भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

- 1- दीपक पुत्र राजकुमार निवासी सरस्वती विहार, नियर संगम विहार चौकी थाना लोनी बोर्डर जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 33 वर्ष ।

अभियुक्त दीपक का आपराधिक इतिहास:-

- 1-मु0अ0स0 493/21 धारा 3/25 ए.एक्ट थाना लोनी बार्डर जनपद गाजियाबाद ।
- 2 - मु0अ0स0 664/21 धारा 392/411 थाना लोनी जनपद गाजियाबाद ।

अभियुक्त दीपक से बरामद का विवरण-

- 1.एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर
- 2.300 रुपये नगद सम्बन्धित मु0अ0स0 664/21 धारा 392/411 भादवि थाना लोनी गा0बाद



थाना लोनी बोर्डर पुलिस ने दो अभियुक्तगणों को किया गिरफ्तार । कब्जे से एक तमंचा 315 बोर मय एक कारतूस 315 बोर व एक चाकू नाजायज वरामद ।

श्रीमान् उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद श्री अमित पाठक के कुशल निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी लोनी महोदय जनपद गाजियाबाद के कुशल पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान, चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान थाना लोनी बार्डर पुलिस द्वारा दिनांक 10.06.21 समय 21.40 बजे सीसीएस चौराहे की ओर से चौकी क्षेत्र लोनी बोर्डर से दो अभियुक्तगण

नौशाद पुत्र बुन्दू निवासी पानी की टंकी के पास बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बोर्डर जनपद गाजियाबाद उम्र-27 वर्ष के कब्जे से एक तमंचा 315 बोर मय एक कारतूस 315 बोर व मोन्टी पुत्र विनोद निवासी सुनील प्रधान वाली गली बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बोर्डर जनपद गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष को एक चाकू नाजायज के गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण -

- 1- नौशाद पुत्र बुन्दू निवासी पानी की टंकी के पास बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बोर्डर जनपद गाजियाबाद उम्र-27 वर्ष
- 2- मोन्टी पुत्र विनोद निवासी सुनील प्रधान वाली गली बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बोर्डर जनपद गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष

अभियुक्त नौशाद का आपराधिक इतिहास:-

- 1- मु0अ0सं0 490/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना लोनी बोर्डर जनपद गाजियाबाद।
- 2- मु0अ0सं0 968/20 धारा 392/411 भादवि थाना लोनी बोर्डर जनपद गाजियाबाद।
- 3- मु0अ0सं0 178/21 धारा 506 भादवि थाना लोनी बोर्डर जनपद गाजियाबाद।

अभियुक्त मोण्टी का आपराधिक इतिहास:-

- 1- मु0अ0सं0 491/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना लोनी बोर्डर जनपद गाजियाबाद।
- 2- मु0अ0सं0 219/21 धारा 60/63 आबकारी अधि0 थाना लोनी बोर्डर जनपद गाजियाबाद।

अभियुक्त नौशाद से बरामदगी का विवरण-

एक तमंचा 315 बोर मय एक कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद।

अभियुक्त मोण्टी से बरामदगी का विवरण-

एक चाकू नाजायज बरामद।



थाना लोनी पुलिस द्वारा नशीले पर्दाथो की तस्करी करने वाला

अभियुक्त गिरफ्तार

श्री अमित पाठक पुलिस उपमहा निरीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद द्वारा अपराध एवं नशीले पर्दाथो की तस्करी करने वाले अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी लोनी के निर्देशन में थाना लोनी पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए चैकिंग के दौरान डेविड स्कूल के पास डी एल एफ से 11.06.2021 समय 02.10 बजे अभियुक्त राहुल शर्मा पुत्र भगवानदास नि0 कन्हैया धर्मशाला के पास शंकर विहार थाना लोनी गाजियाबाद को मय 110 ग्राम नशीला पाउडर एल्प्राजोलम नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण एवं आपराधिक इतिहास -

1- अभियुक्त राहुल शर्मा पुत्र भगवानदास नि० कन्हैया धर्मशाला के पास शंकर विहार थाना लोनी गाजियाबाद

क्र०सं०	मु०अ०सं०	धारा	थाना
1	777/2021	8/21 NDPS ACT	लोनी

बरामदगी:-

110 ग्राम नशीला पाउडर एल्प्राजोलम नाजायज बरामद होना



एक किलो 800 ग्राम नाजायज गांजा सहित एक नफर शातिर अभियुक्त गांजा तस्कर गिरफ्तार

दिनांक:- 11/06/2021

कार्यवाही:- श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद श्री अमित कुमार पाठक द्वारा अपराध की रोकथाम/अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डा० श्री ईरज राजा के कुशल निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी सदर श्री कमलेश नारायण पाण्डेय के पर्यवेक्षण में दिनांक- 10.06.21 की रात्रि को प्रभारी निरीक्षक शैलेन्द्र प्रताप सिंह थाना मसूरी गाजियाबाद व उनकी टीम को उस समय सफलता मिली जब मुखबिर की सूचना पर उ०नि० अनुराग सिंह द्वारा 01 नफर अभियुक्त राजन पुत्र जयपाल निवासी ग्राम सिसोला थाना इन्चोली जनपद मेरठ हाल पता-मौ० पटेर इन्द्रगढी थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद को ईदगाह इन्द्रगढी ग्राउन्ड के पास से एक किलो 800 ग्राम नाजायज गांजा सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना मसूरी पर मु०अ०सं० 505/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

नाम पता अभियुक्ता -

राजन पुत्र जयपाल निवासी ग्राम सिसोला थाना इन्चोली जनपद मेरठ हाल पता-मौ० पटेर इन्द्रगढी थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद उम्र-24 वर्ष

बरामदगी का विवरण:-

(1) एक किलो 800 ग्राम नाजायज गांजा ,

पंजीकृत अभियोग-

(1) मु0अ0स0 505/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मसूरी गाजियाबाद .



थाना इंदिरापुरम, गाजियाबाद

थाना इंदिरापुरम पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित दो अभियुक्त गिरफ्तार

कार्यवाही: श्रीमान पुलिस उप-महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद श्री अमित पाठक के निकट निर्देशन में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय महोदय द्वारा चलाये जा रहे वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान में श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय महोदय के निर्देशन में थाना इंदिरापुरम पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियोगों में वांछित चल रहे 02 अभियुक्तगणों को गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

- 1:- सुरेश चंद डोबरिया पुत्र श्री शंकर दत्त डोबरियाल निवासी म0न0-282 / 11सी वार्तालोक अपार्टमेंट वसुंधरा थाना इंदिरापुरम गा0बाद
सम्बन्धित अ0स0-439/2021 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना इंदिरापुरम जनपद गाजियाबाद
- 2:- प्रवीन गुप्ता पुत्र स्व0 एस0के0 गुप्ता निवासी टावर न0-14 फ्लैट न0-301 औरेज काउंटी थाना इंदिरापुरम जनपद गाजियाबाद।
सम्बन्धित अ0स0-455/2021 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना इंदिरापुरम जनपद गाजियाबाद

अभियुक्तगण का अपराधिक इतिहास:-

अभियुक्त सुरेश चंद डोबरियाल का अपराधिक इतिहास

क्र०स०	मु०अ०स०	धारा	थाना/जनपद
1	904/2003	406/420/408 भादवि	इंदिरापुरम/गा०बाद
2	384/2006	420/467/468/471 भादवि	इंदिरापुरम/गा०बाद
3	77/2016	420/467/468/471 भादवि	इंदिरापुरम/गा०बाद
4	439/2021	2/3 गैगस्टर एक्ट	इंदिरापुरम/गा०बाद

अभियुक्त प्रवीन गुप्ता का अपराधिक इतिहास

क्र०स०	मु०अ०स०	धारा	थाना/जनपद
1	1131/2019	419/420/467/468/471/506 भादवि	इंदिरापुरम/गा०बाद
2	455/2021	2/3 गैगस्टर एक्ट	इंदिरापुरम/गा०बाद



एनसीआर क्षेत्र में गैग बनाकर लूटपाट करने वाले गिरोह का खुलासा, 05 शातिर लूटेरे गिरफ्तार, लूटे गये 07 विभिन्न कम्पनियों के फोन, घटनाओं में प्रयुक्त 01 मोटर साईकिल व अवैध नशीला पदार्थ बरामद

श्रीमान पुलिस उप-महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद श्री अमित पाठक के निकट निर्देशन में व श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय महोदय तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ महोदय के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद मय टीम के द्वारा सर्विलांस के आधार पर व मुखबिर की सूचना पर दिनांक 11.06.2021 को ग्रीन बैल्ट के पास साई मन्दिर के पास सेक्टर-15 वसुंधरा गाजियाबाद से 05 शातिर अभियुक्तगणों को लूटे गये 07 मोबाईल फोन (विभिन्न कम्पनियों) व घटनाओं में प्रयुक्त मोटर साईकिल व अवैध मादक पदार्थ सहित गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तगण शातिर किस्म के लूटेरे हैं उक्त गैंग के सदस्यों एनसीआर क्षेत्र में गैग बनाकर लूटपाट की करीब एक दर्जन से अधिक घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

- 1:- जावेद हसन पुत्र श्री साबिर निवासी ग्राम लकोरी थाना नखासा जिला सम्भल।
- 2:- नाजिम पुत्र अब्दुल रशीद निवासी ग्राम तरीन मौहल्ला कोटला थाना हयातनगर जिला सम्भल
- 3:- इरफान पुत्र यासीन निवासी सराय तरीन मौहल्ला कोटला थाना हयातनगर जिला सम्भल
- 4:- खालिद पुत्र कल्लू निवासी गली न०-16 मुस्तफाबाद दयालपुर दिल्ली
- 5:- उमर फारुख पुत्र फरीद निवासी गली न०-14 करीम नगर थाना नौचंदी जिला मेरठ

बरामदगी:-

- 01:- 07 मोबाईल फोन
 02:- 110 ग्राम एल्प्राजोलम पाउडर
 03:- 01 एफजेड मोटर साईकिल (घटनाओ में प्रयुक्त)
 अभियुक्त जावेद हसन का अपराधिक इतिहास

क्र०स०	मु०अ०स०	धारा	थाना / जनपद
1	1378 / 2021	8 / 21 एनडीपीएस एक्ट	इंदिरापुरम / गा०बा०
2	1377 / 2021	411 / 414 / 34 भादवि	इंदिरापुरम / गा०बा०
3	374 / 2021	392 / 411 भादवि	इंदिरापुरम / गा०बा०

अभियुक्त नाजिम का अपराधिक इतिहास

क्र०स०	मु०अ०स०	धारा	थाना / जनपद
1	1377 / 2021	411 / 414 / 34 भादवि	इंदिरापुरम / गा०बा०
2	374 / 2021	392 / 411 भादवि	इंदिरापुरम / गा०बा०

अभियुक्त इरफान का अपराधिक इतिहास

क्र०स०	मु०अ०स०	धारा	थाना / जनपद
1	1377 / 2021	411 / 414 / 34 भादवि	इंदिरापुरम / गा०बा०
2	1258 / 2021	392 / 411 भादवि	इंदिरापुरम / गा०बा०

अभियुक्त खालिद का अपराधिक इतिहास

क्र०स०	मु०अ०स०	धारा	थाना / जनपद
1	1377 / 2021	411 / 414 / 34 भादवि	इंदिरापुरम / गा०बा०
2	1258 / 2021	392 / 411 भादवि	इंदिरापुरम / गा०बा०

अभियुक्त उमर फारुख का अपराधिक इतिहास

क्र०स०	मु०अ०स०	धारा	थाना / जनपद
1	1377 / 2021	411 / 414 / 34 भादवि	इंदिरापुरम / गा०बा०
2	1258 / 2021	392 / 411 भादवि	इंदिरापुरम / गा०बा०



दि० 09.06.21 को थाना मोदीनगर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम खंजरपुर में हुई हत्या की घटना का थाना मोदीनगर पुलिस ने किया सफल अनावरण, घटना कारित करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 पिस्टल मय मैगजीन, 01 तमंचा मय कारतूस 315 बोर, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल व नगद 75,000/-रु बरामद ।

घटना का संक्षिप्त विवरण- दि० 09.06.2021 को थाना मोदीनगर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम खंजरपुर में टीटू पुत्र रविन्द्र निवासी खंजरपुर थाना मोदीनगर ,गाजियाबाद की उनके घर पर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा 4-5 गोली मारकर हत्या करने के सम्बन्ध में मु०अ०सं० 640/2021 धारा 302 भादवि पंजीकृत किया गया था ।

कार्यवाही- श्रीमान पुलिस उप-महानिरीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद श्री अमित पाठक महोदय द्वारा घटना के सफल अनावरण हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी महोदय के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक मोदीनगर को निर्देशित किया गया था ।

दिनांक 11.06.2021 को उक्त घटना में शामिल/कारित करने वाले अभियुक्तो 1- विकास चौधरी पुत्र टीटू उर्फ उम्मेद निवासी ग्राम खंजरपुर थाना मोदीनगर गाजियाबाद **(मृतक का एकलौता बेटा)** 2- अरुण उर्फ मोती पुत्र सतवीर सिंह नि० कृष्णाकुंज गली न० 10 तिबड़ा रोड मोदीनगर गा० बाद 3. भानू उर्फ कुल्लहड़ पुत्र अजमेर सिंह उर्फ अजय जाट नि० भूपेन्द्रपुरी गली न० 8 तिबड़ा रोड मोदीनगर गा० बाद को तिबड़ा रोड सीकरी फाटक के पास से गिरफ्तार किया गया है ।

अभियुक्त अरुण उर्फ मोती के कब्जे से 01 अदद पिस्टल 32 बोर मय मैगजीन व 01 अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर तथा अभियुक्त भानू के कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 01 खोखा कारतूस 315 बोर व 75,000/- रु नगद व घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल यू०पी० डीडी 3385 बरामद हुई है ।

अभियुक्त विकास उपरोक्त मृतक का एकलौता पुत्र है । अभियुक्त विकास उपरोक्त द्वारा बताया गया की मेरे पिता द्वारा गांव की जमीन बेचने को लेकर उसका एग्रीमेंट कर दिया गया था तथा मिले रूपयो को घर न देकर गलत कामो में बरबाद कर रहे थे । इसी बात से परेशान होकर मेरे द्वारा अपने दो साथियो के साथ मिलकर अपने पिता की हत्या की योजना 2,00,000/-रु में बनाई थी एवं आधे पैसे हत्या से पहले तथा आधे हत्या के बाद देने का सौदा किया गया था ।

नाम पता गिरफ्तार शुदा अभियुक्तगण

- 1- विकास चौधरी पुत्र टीटू उर्फ उम्मेद निवासी ग्राम खंजरपुर थाना मोदीनगर गाजियाबाद (मृतक का एकलौता बेटा)
- 2- 2- अरुण उर्फ मोती पुत्र सतवीर सिंह नि० कृष्णाकुंज गली न० 10 तिबड़ा रोड मोदीनगर गा० बाद
- 3- 3. भानू उर्फ कुल्लहड़ पुत्र अजमेर सिंह उर्फ अजय जाट नि० भूपेन्द्रपुरी गली न० 8 तिबड़ा रोड मोदीनगर गा० बाद

बरामदगी का विवरण (घटना में प्रयुक्त)

1. अवैध पिस्टल मय मैगजीन 32 बोर
2. 01 जिन्दा कारतूस 32 बोर
3. 01 देशी तमंचा 315 बोर
4. 01 खोखा कारतूस 315 बोर
5. 75,000/- हजार रू० नकद
6. मोटर साइकिल यू०पी० 14 डीडी 3385

गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास

अभियुक्त अरूण उर्फ मोती

- 1- मु0अ0स0 375/2019 धारा 147/148/149/307/302/506/34 भादवि थाना मोदीनगर
- 2- मु0अ0स0 445/2019 धारा 25/27 आयुध अधिनियम थाना मोदीनगर गा0 बाद
- 3- मु0अ0सं0 873/2019 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना मोदीनगर गा0 बाद
- 4- मु0 अ0 स0 642/21 धारा 3/25 A ACT थाना मोदीनगर गा0 बाद

अभियुक्त भानू उर्फ कुल्लहड़

- 1- मु0अ0स0 375/2019 धारा 147/148/149/307/302/506/34 भादवि थाना मोदीनगर
- 2- मु0अ0सं0 447/2019 धारा 25/27 आयुध अधिनियम थाना मोदीनगर गा0 बाद
- 3- मु0अ0सं0 873/2019 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना मोदीनगर गा0 बाद
- 4- मु0अ0स0 643/21 धारा 3/25 A ACT थाना मोदीनगर गा0 बाद



थाना नन्दग्राम पुलिस द्वारा जरी केन में यूरिया (सफेद पाउडर) घोल रहे अभियुक्त को मय 75 पक्वे भरे हुए, 60 पक्वे खाली मय ढक्कन, 01 केन अधभरी (मिश्रित देशी शराव), 15 पौवा सील सहित व 650 ग्राम यूरिया सफेद पाउडर नाजायज के साथ किया गिरफ्तार ।

श्रीमान पुलिस उप-महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराधियों की धरपकड हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय महोदय के सफल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक नन्दग्राम नीरज कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर चैकिंग के दौरान अवैध देशी शराव को अपमिश्रित कर अधिक नशीली बनाते हुए अभियुक्त सराफत उर्फ फरमान पुत्र जाकिर नि0 E 464 नन्दग्राम थाना नन्दग्राम गाजियाबाद को दि0 10.06.21 को गिरफ्तार किया गया है ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

सराफत उर्फ फरमान पुत्र जाकिर नि0 E 464 नन्दग्राम थाना नन्दग्राम गाजियाबाद

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

मु0अ0सं0 602/21 धारा 60A आबकारी अधि0 व 272 भादवि थाना नन्दग्राम गाजियाबाद।

बरामदगी विवरण

- 1 -75 पक्वे भरे हुए
- 2- 60 पक्वे खाली मय ढक्कन
- 3- 01 केन अधभरी (मिश्रित देशी शराव)
- 4- 15 पौवा सील सहित
- 5- 650 ग्राम यूरिया सफेद पाउडर



थाना नन्दग्राम पुलिस द्वारा दिनांक 10.06.2021 को मान्यवर श्री काशीराम जी शहरी ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत भवन आवंटन कराने के नाम पर धोखाधडी कर रूपये ऐंठने वाला एक शातिर अभियुक्त गिरफ्तार।

श्रीमान उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराधियों की धरपकड हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय महोदय के सफल पर्यवेक्षण मे प्रभारी निरीक्षक नन्दग्राम नीरज कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर चैकिंग के दौरान मान्यवर श्री काशीराम जी शहरी ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत भवन आवंटन कराने के नाम पर धोखाधडी कर रूपये ऐंठने वाला एक शातिर अभियुक्त हरविन्द्र पुत्र परमजीत सिंह नि0 म0न0 43 द्वारिका एनक्लेव साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद सम्बन्धित मु0अ0सं0 553/21 धारा 406/420/467/468/471 भादवि दिनांक 10.06.2021 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

- हरविन्द्र पुत्र परमजीत सिंह नि0 म0न0 43 द्वारिका एनक्लेव साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद उम्र 38 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

मु0अ0सं0 553/21 धारा 406/420/467/468/471 भादवि थाना नन्दग्राम गाजियाबाद ।

